फर्द--अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला--अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या--76/2024

....................................बनाम....................................

अन्तर्गत धाराः--....................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
18/11/25 नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र विड्रो करता हूं शिवचरण चौधरी.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील प्रतिवादी सं. 23 श्री शिवकुमार जोशी उपस्थित है। वकील वादी द्वारा पत्रावली में वाद पत्र विड्रो करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र की एक प्रति वकील प्रतिवादी को दिलवायी जावे। प्रार्थना पत्र के सम्बंध में वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किये गये कि वादी विचाराधीन वाद पत्र आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इस हेतु वाद पत्र विड्रो करने के आदेश बाबत वादी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण में नवीन वाद प्रस्तुत करने के वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। वकील प्रतिवादी सं. 23 श्री शिवकुमार जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र विड्रो पर ~~कार्यवाही~~ कोई आपत्ति-एतराज दर्ज/व्यक्त नहीं किया गया। अन्य प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। वादी की ओर से वकील वादी श्री शिवचरण चौधरी द्वारा वाद पत्र विड्रो कर कार्यवाही समाप्त करने बाबत निवेदन किया गया है; ऐसी स्थिति में वाद पत्र पर कोई कार्यवाही आगे अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी के जरिये अधिवक्ता, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मौखिक निवेदन स्वीकार करते हुये, वादी के नवीन वाद प्रस्तुत करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये, वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर निकम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)